पत्र संख्या–सं०का०–02 / स्था0(निर्वाचन)–02–02 / 2025– 587 /

बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग

बिहार विधान सभा सचिवालय
प्राप्ति तिथि: 16/7/25
केन्द्रीय डाक सं० 8113

प्रेषक,
मनीष कुमार सिंह,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।
सचिव,
बिहार विधान परिषद्, पटना।

पटना, दिनांक– 15.07. 2025

विषय : *अर्हता तिथि–01.07.2025 के आधार पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 कार्यक्रम में सरकारी सेवकों की शत–प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने के संबंध में।*

प्रसंग : *मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के पत्रांक–B1-3-45/2025-2341, दिनांक–07.07.2025*

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक–01.07.2025 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 का कार्यक्रम, संविधान के अनुच्छेद 324, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अन्य लागू प्रावधानों के अंतर्गत संसूचित किया गया है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि बिहार विधान सभा / बिहार विधान परिषद् के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी इस राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। अतः प्रसंगाधीन पत्र की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु0–यथोपरि।

विश्वासभाजन,
(मनीष कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

बिहार विधान सभा सचिवालय

ज्ञापांक-1स्था०-36/2025 2220 /वि०स०, पटना, दिनांक- 05-8- 2025 ई०।

प्रति:- अवर सचिव, श्रव्य एवं दृश्य इकाई शाखा, बिहार विधान सभा, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(सुधीर कुमार सिंह)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

ज्ञापांक-1स्था०-36/2025 2220 /वि०स०, पटना, दिनांक- 05-8- 2025 ई०।

प्रति:- सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण तथा स्थापना शाखा, बिहार विधान सभा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(सुधीर कुमार सिंह)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

विनोद सिंह गुंजियाल

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय

7,सरदार पटेल मार्ग, पटना-800015

फोन नं०:- 0612-2217956, फैक्स नं०:- 0612-2215611 ई-मेल:- ceo_bihar@eci.gov.in

पत्रांक : B1-3-45/2025 – 2341 पटना, दिनांक 07 जुलाई, 2025 ई०

सेवा में,

सचिव,

संसदीय कार्य विभाग, बिहार।

विषय :– **अर्हता तिथि 01.07.2025 के आधार पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 कार्यक्रम में सरकारी सेवकों की शत–प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 01.07.2025 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 का कार्यक्रम, संविधान के अनुच्छेद 324, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अन्य लागू प्रावधानों के अंतर्गत संसूचित किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 326 यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जो अर्हता तिथि को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है और किसी अन्य कानून के तहत अयोग्य नहीं ठहराया गया है, वह निर्वाचक सूची में पंजीकृत होने का हकदार होगा। विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य है कि कोई भी योग्य नागरिक छूट न जाए और कोई भी अयोग्य व्यक्ति निर्वाचक सूची में शामिल न हो। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के संचालन के लिए निर्वाचक सूची की शुचिता बनाए रखना एक मौलिक दायित्व है। निर्वाचक होने की अर्हता मताधिकार के लिए अनिवार्य है, जो संविधान प्रदत्त दायित्व के निर्वहन में व्यक्ति की गरिमा एवं नैतिक दायित्व को सुनिश्चित करेगा।

उक्त परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि सभी सरकारी पदाधिकारी एवं कर्मी इस राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचकों की सुविधा एवं सुगमता के लिए मतदाता Enumeration Form को ऑनलाईन माध्यम से भी भरने की सुविधा प्रदान की गयी है। इस संदर्भ में सरकारी सेवक अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं और वे स्वयं तथा अपने परिवार एवं संबंधियों को भी ऑनलाईन Enumeration Form भरने हेतु प्रेरित कर सकते हैं। प्रजातंत्र के लिए यह उनका महत्वपूर्ण योगदान होगा। इस निमित्त आप अपने–अपने स्तर पर बैठक आयोजित कर सरकारी सेवकों को इसके लिए प्रेरित करें। ऑन–लाईन माध्यम से गणना प्रपत्र भरने, BLO/ERO/DEO का सम्पर्क संख्या तथा गणना प्रपत्र का नमूना हेतु QR Code निम्नवत् है :–

<u>विशेष गहन पुनरीक्षण – 2025</u>

For filling Enumeration form Online	Know your BLO/ERO/DEO	Sample Enumeration Form

अतः ऑनलाईन माध्यम से भरे जाने वाले अनुदेश की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी कर्मियों की शत–प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाये।

अनु० :– यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

(विनोद सिंह गुंजियाल)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण 2025

इस कोड स्कैन करें और
अपना एन्यूमरेशन फॉर्म आज ही ऑनलाइन भरें

विशेष गहन पुनरीक्षण, 2025

ऑनलाईन माध्यम से गणना प्रपत्र भरने की प्रक्रिया

बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण, 2025 के तहत https://voters.eci.gov.in के माध्यम से आंशिक भरा हुआ गणना प्रपत्र भरने एवं वांछित दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध है।

❖ **ऑन–लाईन माध्यम से गणना प्रपत्र भरने की प्रक्रिया :–**

- voters.eci.gov.in Portal पर उपलब्ध Fill Enumeration Form online tab के माध्यम से गणना प्रपत्र भरने की सुविधा प्रदान की गयी है, जिसकी प्रक्रिया निम्नवत् है :–
  - ➢ Fill Enumeration Form online पर click करें
  - ➢ Login करने के लिए Mobile संख्या या EPIC संख्या दर्ज करें
  - ➢ Request OTP tab पर Click करें
  - ➢ Mobile पर प्राप्त OTP प्रविष्ट करें (Note- EPIC प्रविष्ट करने पर EPIC के साथ tagged mobile no. पर ही OTP प्राप्त होगा)
  - ➢ अगले Screen पर EPIC संख्या प्रविष्ट करें
  - ➢ EPIC संख्या प्रविष्ट करने पर Pre-filled Information परिलक्षित होगी।
  - ➢ तत्पश्चात् ईपिक के साथ Linked Mobile No. या कोई अन्य Mobile No. प्रविष्ट करने पर गणना प्रपत्र भरने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इस क्रम में यदि निर्वाचक अपना Mobile संख्या EPIC के साथ link करना चाहता है तो Form-8 के माध्यम से Update करने की सुविधा उपलब्ध है।
  - ➢ तत्पश्चात् Mobile No. प्रविष्ट करते हुए Send OTP Button दबायें
- OTP दर्ज करनें पर Screen पर संबंधित निर्वाचक का गणना प्रपत्र उपलब्ध हो जायेगा, जिसमें निर्वाचक द्वारा निम्न सूचनायें अंकित की जानी है :–
  - ✓ नया फोटो अपलोड
  - ✓ निर्वाचक की जन्म तिथि
  - ✓ निर्वाचक का आधार संख्या (वैकल्पिक)
  - ✓ पिता/कानूनी अभिभावक का नाम
  - ✓ पिता/कानूनी अभिभावक का ईपिक संख्या (वैकल्पिक)
  - ✓ माता का नाम
  - ✓ माता का ईपिक संख्या (वैकल्पिक)
  - ✓ जीवनसाथी का नाम (वैकल्पिक)
  - ✓ जीवनसाथी का ईपिक संख्या (वैकल्पिक)
  - ✓ स्थान
  - ✓ अपलोड सिग्नेचर (अनिवार्य)
- **Next Button दबाने पर Declaration का Screen खुलेगा, जिसमें निम्न श्रेणी परिलक्षित होगी –**

  (i) 01.01.2003 के आधार पर बिहार की निर्वाचक सूची में नाम शामिल है

(ii) 01.07.1987 के पूर्व भारत में जन्म
(iii) 01.07.1987 एवं 02.12.2004 के बीच भारत में जन्म
(iv) 02.12.2004 के बाद भारत में जन्म
(v) भारत के बाहर जन्म
(vi) पंजीकरण / नागरिकीकरण द्वारा प्राप्त नागरिकता

- निर्वाचक द्वारा उपरोक्त वर्णित श्रेणियों में से कोई एक का चयन करने पर आयोग द्वारा निर्धारित वांछित दस्तावेज अपलोड किया जाना है।
- घोषणा से संबंधित चेकबॉक्स को टिक किया जाना है।
- इसके उपरांत Preview के माध्यम से भरे हुए गणना प्रपत्र को देखने की सुविधा उपलब्ध है।
- Submit Button Click करके गणना प्रपत्र जमा किया जा सकता है।
- गणना प्रपत्र Submit होने के पश्चात् निर्वाचक को SMS के माध्यम से सूचना प्राप्त हो जायेगी।

****